प्रेस नोट

थाना - पिलखुवा **दिनांक- 07-04-2024**

- **थाना पिलखुवा पुलिस ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री का पर्दाफाश करते हुए एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार।**
- **जिसके कब्जे/निशानदेही पर 21 बने-अधबने अवैध तमन्चे व जिन्दा/खोखा कारतूस तथा अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद।**
- **गिरफ्तार अभियुक्त अवैध शस्त्र बनाकर डिमाण्ड आने पर अपराधी किस्म के लोगों को करता था सप्लाई।**
- **गिरफ्तार अभियुक्त प्रत्येक अवैध तमंचे को 5-7 हजार रूपये में बेचकर आर्थिक लाभ कमाता था।**
- **गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरुद्ध जनपद हापुड व बुलन्दशहर में चोरी व आर्म्स एक्ट आदि से सम्बन्धित आधा दर्जन से अधिक अभियोग पंजीकृत हैं।**

कार्यवाही:-

पुलिस अधीक्षक श्री अभिषेक वर्मा महोदय के निर्देशन में जनपद में अवैध शस्त्र बनाने/बेचने वालों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना पिलखुवा पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र फैक्ट्री का पर्दाफाश करते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे/निशानदेही पर 09 बने व 12 अधबने अवैध तमन्चे, (कुल-21 अवैध असलहा) व जिन्दा/खोखा कारतूस तथा अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद हुए हैं।

उपरोक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना पिलखुवा 179/2024 धारा 5/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तारी का स्थान व दिनांक- मूर्ती देवी इन्टर कालेज के सामने बंद मकान से दि0 07.04.24।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

दिनेश पुत्र राकेश निवासी न्यू आर्य नगर चण्डी मन्दिर के पीछे थाना थाना पिलखुवा जनपद हापुड़।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0 912/17 धारा 380 भादवि थाना कोतवाली देहात जनपद बु0शहर।
2. मु0अ0सं0 981/17 धारा 380/457 भादवि थाना कोतवाली देहात जनपद बु0शहर।
3. मु0अ0सं0 1038/17 धारा 136 विद्यूत अधि0 थाना कोतवाली देहात जनपद बु0शहर।
4. मु0अ0सं0 1106/17 धारा 380/457/411 भादवि थाना कोतवाली देहात जनपद बु0शहर।
5. मु0अ0सं0 1139/17 धारा 307/34/399/402 भादवि थाना कोतवाली देहात जनपद बु0शहर।
6. मु0अ0सं0 1145/17 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली देहात जनपद बु0शहर।
7. मु0अ0सं0 538/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना पिलखुवा जनपद हापुड।

बरामदगी का विवरणः-

- 09 अवैध तमन्चे .315 बोर।
- 12 अधबने अवैध तमन्चा .12 बोर।
- 03 जिन्दा कारतूस (02 कारतूस .12 बोर व एक कारतूस .315 बोर)।
- 01 खोखा कारतूस .315 बोर।
- **अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण-** (02 हथोडी, 02 लोहा सडासी, एक प्लास , 02 रेती, 04 छैनी, 02 सुम्मी, 02 पेचकस, एक आरी लोहा मय ब्लेड, एक ठिया (लोहा), एक धौकनी (भट्टी सुलगाने वाला पंखा), एक पाइप रिंच, एक हाथ से घुमाने वाला वर्मा, एक इंचीटेप, एक एलईडी टार्च आदि)।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 श्री रंजीत सिंह थाना पिलखुवा जनपद हापुड।
2. उ0नि0 श्री दिनेशचन्द गौतम थाना पिलखुवा जनपद हापुड।
3. है0कां0580 राजेन्द्र सिहं थाना पिलखुवा जनपद हापुड।
4. है0कां0 709 गौरव निर्वाल थाना पिलखुवा जनपद हापुड।
5. है0कां0 707 विनोद कुमार थाना पिलखुवा जनपद हापड।
6. कां0 883 रुचिन मलिक थाना पिलखुवा जनपद हापुड।